रामलाल बनाम मागर

किस्म मुकदमा .... वाद .... नं0 139 सन् 2017

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
2.17	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 18.1.18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
3.1.18	पत्रावली पेश हुई। वादीगण मय अधिवक्ता उप0/ प्रतिवादीगण सं. 1 से 9 उपस्थित होकर अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 RTA. के तहत राजीनामा प्रस्तुत किया गया, जिसे शा0 पजा0 किया गया। वादीगण द्वारा वाद पत्र की चरण सं. 1 मे वर्णित आराजियात् वादीगण के दादा श्री श्री नगजी पिता रुघ्मा बलाई के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। सेटलमेन्ट के दौरान वादीगण के पिता का निधन हो जाने से, विरासत से वादीगण के पिता श्री भूरा के नाम पर उक्त वादग्रस्त आराजियात् जरिये विरासत से सेटलमेन्ट के दौरान बतौर खातेदारी हक से दर्ज करदी गयी थी। लेकिन सेटलमेन्ट के पश्चात नवीन रोटेशन-जमाबन्दी कायम करते वक्त पटवारी हल्का द्वारा भूल से वादग्रस्त आराजियात् को भूरा पिता नगजी बलाई के बजाय भैरा पिता नगजी बलाई के नाम दर्ज करने की त्रुटी की गई। जिसके (हस्ताक्षर) **उपखण्ड अधिकारी** **मांडल जिला भीलवाड़ा**	नि. रामलाल नि. नाथू द. B1 (हस्ताक्षर) नि. मागर नि. लेहरु नि. ... शंकर नि. ... नि. ...

Scanned by CamScanner

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म ने ज
Identified By	संबंध में वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। एवम् प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र राजीनामा का अवलोकन किया गया। राजीनामा अनुसार ग्राम कापड़िया पटवार हल्का बावलास तहसील मांडल के आराजी नम्बर व रकबा 561/0.07, 562/2.11, 563/2.16, 564/1.19 व 565/1.18 कुल किता 5 रकबा 9-11 बीघा भूमि ~~[struck out]~~ प्रति वादीगण के संयुक्त खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। जबकि वादीगण के दादा श्री नगजी के जमाने की होकर वादीगण की पुश्तैनी कृषि भूमि है। तथा वादीगण श्री नगजी के पुत्र भूरा के वारीसान होने से वादीगण वादग्रस्त आराजियात के खातेदार काश्तकार है, की घोषणा की जाकर तद्नुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरस्ती कर प्रतिवादी सं० प्रतिवादी सं० 1 लगायत 9 का एवम् मृतक केसी पत्नि मोती का नाम विलोपित करवाया जाकर उनके बजाय वादीगण का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने बाबत आपसी राजीनामा प्रस्तुत किया। अब प्रतिवादी सं० 2 लहरू ने अपने राजीनामा के जरिये यह स्वीकार किया कि प्रतिवादी सं० 2 ने उक्त आराजियात में से अपने हक हिस्से को PNB बागोर के रहन रख रखा है। रहन की राशि प्रतिवादी सं० 2 स्वयं बैंक में जमा कराने हेतु प्रतिबद्ध है। अतः- आदेश उपरोक्त विवेचन एवम् वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य प्रस्तुत राजीनामा अनुसार स्वीकार	

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम कापड़िया पटवार हलका बावलास की जमाबन्दी सं० 2071-74 के खाता सं० 267 मे दर्ज खातेदार मांगु, लेहरु, गोपी, शंकर पिता हिरा, मांगु, लेहरु, गोपी, शंकर, पिता हीरा, सुन्दर पारसी पुत्री हीरा, तुलसी पत्नि पेमा, धोली पुत्री पेमा, बालु पिता मोती, केसी बेवा मोती बलाई सा० देह के नाम विलोपित किये जाकर वादीगण रामलाल पिता भुरा, मु० नानुड़ी पुत्री भुरा बलाई नि० कापड़िया (बे) को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी जारी हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Scanned by CamScanner

डिक्री

(आ0 20 नियम 6 / जा0दी0)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान

वईजलास श्री सी. एल. शर्मा (आर0ए0एस0)

अनवान प्रकरण

1. श्री रामलाल S/o श्री भूरा बलाई निवासी - कापड़िया खेड़ा, तहसील - माण्डल
2. मु. नानूड़ी D/o श्री भूरा बलाई निवासी - कापड़िया खेड़ा, तहसील - माण्डल

बनाम

1. श्री मांगू S/o श्री हीरा बलाई निवासी - कापड़िया खेड़ा, तहसील - माण्डल
2. श्री लेहरू S/o श्री हीरा बलाई निवासी - कापड़िया खेड़ा, तहसील - माण्डल
3. श्री गोपी S/o श्री हीरा बलाई निवासी - कापड़िया खेड़ा, तहसील - माण्डल
4. श्री शंकर S/o श्री हीरा बलाई निवासी - कापड़िया खेड़ा तहसील - माण्डल
5. मु. सुन्दर D/o श्री हीरा बलाई निवासी - कापड़िया खेड़ा, तहसील - माण्डल
6. मु. पारसी D/o श्री हीरा बलाई निवासी - कापड़िया खेड़ा, तहसील - माण्डल
7. श्रीमु. तुलसी W/o श्री पेमा बलाई निवासी - कापड़िया खेड़ा, तहसील - माण्डल
8. मु. धीसी D/o श्री पेमा बलाई निवासी - कापड़िया खेड़ा, तहसील - माण्डल
9. श्री बालु S/o श्री मोती बलाई निवासी - कापड़िया खेड़ा, तहसील - माण्डल
10. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बागोर, तहसील - माण्डल
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल तहसील - माण्डल

वादी

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 मुकदमा नं0 / वर्ष 139/17 निर्णय दिनांक 18-1-18

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसाल करार स्थगन अदालत व हिजरी वकील वादी निनजानिब मुदई व राजेश तिवाड़ी Advo. जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य प्रस्तुत राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम कापड़िया पटवार हल्का बावलास की जमाबन्दी संख्या 2071-74 के खाता सं. 267 मे दर्ज खातेदार मांगु, लेहरू, गोपी, शंकर पिता हीरा बलाई, सुन्दर, पारसी पुत्री हीरा बलाई, तुलसी पत्नी पेमा बलाई, धीसी पुत्री पेमा बलाई, बालु पिता मोती बलाई, केसी बेवा मोती बलाई सा-देट के नाम विलोपित किये जाकर वादीगण रामलाल पिता भूरा बलाई, मु0 नानुड़ी पुत्री भूरा बलाई निवासी - कापड़ियाखेड़ा को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

खर्चा फरिकेन अपना - अपना वहन करे।

आज तारीख 18-1-18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner